छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण कमांक 116/2008

1. श्री महेश सिह ठाकुर, — *शिकायतकर्ता*
सिंचाई विभाग कालोनी सिविल लाईन,
क्वाटर नंबर एच/15, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *अनावेदक*
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 05 नवंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री महेश सिंह ठाकुर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के समक्ष दिनांक 06.12.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.02.2008 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा सूचना के बाद भी अनावेदक अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर शिकायतकर्ता के तर्क सुने गये। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाया गया था, किन्तु उनके द्वारा प्रतिवेदन भी नहीं भेजा गया। प्रकरण में विलंब के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा 15 दिवस के अन्दर चाही गई जानकारी निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु न तो जन सूचना अधिकारी ने कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये तथा आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें अभी–तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग का रवैया सूचना का अधिकार के आवेदनों के प्रति अत्यन्त लापरवाहीभरा एवं गैरजिम्मेदाराना है, यहॉ तक कि उन्होंने आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा। अतः प्रकरण में उन्हें विलंब के लिए दोषी पाया जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग पर दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे चाही गई जानकारी 15 दिवस में शिकायतकर्ता को निःशुल्क दिलवाया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग कार्यालय से संबंधित कई प्रकरणों में आयोग के ध्यान में यह बात आयी है, जिनमें सूचना का अधिकार के आवेदनों के प्रति विभाग की लापरवाही सिद्ध पायी गयी है, अतः संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग को इस संबंध में आवश्यक कड़े निर्देश जारी करें, ताकि भविष्य में उस कार्यालय में ऐसे आवेदनों पर समयावधि में निराकरण किया जा सके। साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com